न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0नं0 :— 63 / 2025 विविध
निर्णय दिनांक :— 31.07.2025
पीठसीन अधिकारी :— राकेश कुमार **II** (आर0ए0एस0)

उनवान

1. पुष्पा पत्नि अनिल कुमार जाति जैन निवासी ग्राम लदाना तहसील फागी जिला जयपुर राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. दिलीप सिंह पुत्र गोपाल सिंह
2. भंवर सिंह पुत्र गोपाल सिंह
3. रणजीत सिंह पुत्र गोपाल सिंह
4. सुगन कंवर पत्नि गोपाल सिंह
   जातियान राजपूत निवासी ग्राम लदाना तहसील फागी जिला जयपुर राज0
5. अनिता पुत्री रामनिवास
6. कन्हैयालाल पुत्र रामनिवास
7. कैलाश पुत्र भंवरलाल
8. नीमा पुत्री रामनिवास
9. फौरन्ता पुत्री रामनिवास
10. बरजी देवी पत्नि रामनिवास
11. बालू पुत्र चन्दा
12. मंजू पुत्री रामनिवास
13. रतन पुत्र चन्दा
14. रामकिशन पुत्र बीज्या
15. रामदयाल पुत्र बीज्या
16. लक्ष्मीनारायण पुत्र भंवरलाल
17. लाडा देवी पुत्री भंवरलाल
18. सुगना देवी पुत्री भंवरलाल
19. सुनिता पुत्री रामनिवास
20. सूरजकरण पुत्र चन्दा
21. सुवालाल पुत्र दौल्या
22. सीताराम पुत्र बीज्या
23. सोहन पुत्र भंवरलाल
24. तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर राज0।
    समस्त जातियान बैरवा निवासी ग्राम लदाना तहसील फागी जिला जयपुर राज0।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :— श्री सत्यदेव सिंह नरूका वकील प्रार्थीगण

लगातार.........................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी

है लेकिन वो काफी समय पूर्व ही बालिग हो चुका है इसलिए जरिये संरक्षक सरपरस्त दर्ज नहीं किया गया है। विवादग्रस्त आराजी श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से उक्त प्रकरण में पत्थरगढी के आदेश करने का श्रवणाधिकार श्रीमान् न्यायालय को प्राप्त है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। मुताबिक रजिस्टर्ड डाक की ट्रेक रिपोर्ट अप्रार्थीगण की तामिल हो चुकी है। अप्रार्थीगण बाद तामिल भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इसलिए अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 24 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता एकतरफा सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 वाके ग्राम लदाना के खाता सं0 193 के आराजी ख0नं0 3167/3 में प्रार्थीया रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र मे संलग्न सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार उक्त आराजी का विधिवत सीमाज्ञान दिनांक 08.06.2022 को करवा लिया है उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीया की भूमि मे अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते है। उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे हम प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पक्षकारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किया जाना उचित समझते है।

–:आदेश :–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता नं. 193 के आराजी खसरा नम्बर 3167/3 रंकबा 0.5058 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम लदाना, तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित आराजीयात के सभी पडौसी खातेदारान को नोटिस जारी किया जाकर, पडौसी खातेदारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान करते हुये पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। पत्थरगढ़ी केवल सीमाचिह्न की जानकारी मात्र हेतु की जावें। कब्जे सम्बंधी विवाद हो तो सक्षम न्यायालय में सक्षम धाराओं में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

31/7/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर,

(2)

प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी करवाने बाबत

निर्णय

दिनांक :– 31.07.2025

1. वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 193 के आराजी खसरा नम्बर 3167/3 रकबा 0.5058 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम लदाना, पटवार हल्का लदाना, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसकी प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार होकर मौके पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। प्रार्थीया की उपरोक्त वर्णित भूमि के लगवा सासरा नम्बर 3167/1. 3198/1, 3167/2 के खातेदार अप्रार्थीगण, प्रार्थीया के कब्जे काश्त की भूमि में विवाद उत्पन्न करने लगे तो प्रार्थीया ने उक्त आराजी भूमि का विधिवत रूप से तहसीलदार महोदय फागी के आदेश क्रमांक मू०अभिलेख/2022/1968 दिनांक 17/05/2022 की पालना में दिनांक 08/06/2022 को पटवारी हल्का लदाना से सीमाज्ञान करवाया गया। पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे के अनुसार सीमाज्ञान दिनांक 08.06.2022 को सीमाज्ञान कर प्रार्थीया के उपरोक्त खसरा नम्बर की चारों भुजाओं की नाप कर पालना रिपोर्ट तहसीलदार महोदय फागी को प्रस्तुत की लेकिन उक्त सीमाज्ञान होने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान की अनदेखी करने लगे तथा अब उक्त सीमाज्ञान के समय कायम किये गये निशानातं को अप्रार्थीगण व उनके परिवारजन हटाने पर आमदा है। अप्रार्थीगण नहीं चाहते कि प्रार्थीया की उक्त भूमि की सीमाओं व मेर कोर का विवाद समाप्त हो एवं प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त कर सकें उक्त विवाद के निस्तारण हेतु विधि अनुसार किये गये सीमाज्ञान को भी अप्रार्थीगण नहीं मानते एवं प्रार्थीया की उपरोक्त आराजीयात के कब्जे काश्त मे आये दिन मजामहत करते है क्योंकि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी नही हो रखी है। तहसीलदार फागी के आदेश कमांक मू०अभि०/2022/1968 दिनांक 17/050/2022 की पालना में सीमाज्ञान दिनांक 08/06/2022 को हुये सीमाज्ञान एवं कायम किये निशानात को अप्रार्थीगण नहीं मानते तथा प्रार्थीया से आये दिन मेर–कोर को लेकर लडाई झगडा करते है तथा पत्थरगढी नहीं होने से अप्रार्थीगण विवाद उत्पन्न वारते है इस कारण प्रार्थीया को यह पत्थरगढी प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी हुआ है। तहसीलवार फागी के आदेशानुसार किये गये सीमाज्ञान दिनांक 08/06/2022 के अनुसार यदि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जाकर पत्थरगडी कर दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद समाप्त हो सकेगा एवं प्रार्थीया को न्याय मिल सकेगा। अप्रार्थी संख्या 01 दिलीप सिंह राजस्व रिकार्ड में नाबालिक दर्ज

लगातार......................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी

फर्द अहकाम

पुष्पा बनाम दिलीप सिंह वगै०

नाम न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या:– 63/2024

क्र.स	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	19/5/25	पत्रावली पेश हुई है पी०ओ० साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/5/25 को पेश है।	
	22/5/25	पत्रावली पेश हुई है पी०ओ०साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 30/5/25 को पेश है।	
	30/5/25	पत्रावली पेश हुई है पी०ओ०साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 20/6/25 को पेश है।	
	20/6/25	पत्रावली पेश हुई है पी०ओ०साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 25/7/25 को पेश है।	
	25/7/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप०। वकील प्रार्थी बहस हेतु समय चाहा। न्यायहित में बहस हेतु समय दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 31/7/25 को पेश होवे।	
	31/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया उप०। बहस एकतरफा सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित किया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नं० से कम हो दाखिल दफ्तर रहे। उपखण्ड अधिकारी फागी	